



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-08072026-274241  
CG-UP-E-08072026-274241

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 533]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 591(अ).— नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (जलयान यातायात सेवा) नियम, 2026 का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 46 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अधीन बनाने का प्रस्ताव करती है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 172(अ), तारीख 23 फरवरी, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 11 मार्च, 2026 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 मार्च, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 46 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (जलयान यातायात सेवा) नियम, 2026 है।  
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
(क) “अधिनियम” से नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) अभिप्रेत है;  
(ख) “सक्षम प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;  
(ग) “जलयान यातायात सेवा क्षेत्र” से अधिनियम की धारा 11 के खंड (क) के अधीन तथा उसके प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकृत क्षेत्र अभिप्रेत है;  
(घ) “जलयान यातायात सेवा प्रदाता” से ऐसा कोई व्यक्ति, प्राधिकारी अथवा संगठन अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी जलयान यातायात सेवा क्षेत्र में जलयान यातायात सेवाओं के संचालन हेतु घोषित एवं अधिकृत किया गया हो।  
(2) इन नियमों में प्रयुक्त वे शब्द और पद, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं।
3. **जलयान यातायात सेवाओं की श्रेणियाँ—** (1) बंदरगाह अथवा हार्बर सीमाओं के भीतर प्रदान की जाने वाली जलयान यातायात सेवाओं को बंदरगाह या हार्बर जलयान यातायात सेवाएँ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और ऐसी सेवाओं की स्थापना एवं संचालन जलयान यातायात सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।  
(2) तटीय जलक्षेत्रों में, जिनमें आवश्यकतानुसार निकटवर्ती बंदरगाहों के सामान्य हित के जलक्षेत्र भी सम्मिलित हैं, ऐसे क्षेत्रों में पोतों की सुरक्षित एवं दक्ष आवाजाही को सुगम बनाने हेतु प्रदान की जाने वाली जलयान यातायात सेवाओं को तटीय पोत यातायात सेवाएँ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।  
स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, “निकटवर्ती बंदरगाहों के सामान्य हित के जलक्षेत्र” से ऐसे सतत अथवा आच्छादित नौगम्य जलक्षेत्र अभिप्रेत है, जो दो या दो से अधिक निकटवर्ती बंदरगाहों की अधिसूचित सीमाओं के मध्य या उनसे सटे हुए स्थित हों तथा जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा चिन्हित एवं अधिसूचित किया गया हो।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, जहाँ यातायात की मात्रा अथवा जोखिम का स्तर ऐसी स्थापना को उचित ठहराता हो, वहाँ केन्द्रीय सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, प्राधिकरण या संगठन ऐसी सेवाओं की स्थापना कर सकेगा।

4. **जलयान यातायात सेवाओं हेतु सक्षम प्राधिकारी**— अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के पास जलयान यातायात सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में न्यूनतम पाँच वर्ष का वृत्तिक अनुभव होना आवश्यक होगा।

5. **सक्षम प्राधिकारी के कृत्य**— (1) सक्षम प्राधिकारी अपने सभी कृत्यों का निर्वहन अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) जलयान यातायात सेवा प्रदाताओं के प्राधिकार के संबंध में—

- (i) प्राधिकरण हेतु मानक प्रक्रियाएं एवं मानदंड जारी करना;
- (ii) अधिकृत क्षेत्र में जलयान यातायात सेवाओं की स्थापना, संशोधन अथवा विस्तार हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच एवं समीक्षा करना; और
- (iii) निरीक्षण, लेखा-परीक्षा एवं प्रदर्शन पुनर्विलोकन के माध्यम से प्राधिकरण की शर्तों के अनुपालन की निगरानी करना।

(ख) जलयान यातायात सेवाओं की स्थापना एवं संचालन के मानकों के संबंध में—

- (i) भारत में जलयान यातायात सेवाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु मानक, दिशा-निर्देश एवं सिफारिशें तैयार करने में केन्द्रीय सरकार की सहायता करना;
- (ii) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपकरणों की विशिष्टताओं का मानकीकरण करना;
- (iii) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से जनशक्ति एवं उनकी अर्हताओं का मानकीकरण करना; और
- (iv) यथासंभव विभिन्न जलयान यातायात सेवा क्षेत्रों में प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की एकरूपता एवं पारस्परिक संचालन-संगतता को प्रोत्साहित करना।

(ग) समन्वय एवं सूचना आदान-प्रदान के संबंध में —

- (i) जलयान यातायात सेवा प्रदाताओं, समुद्री प्रशासन, तटीय राज्य प्राधिकारियों तथा अन्य संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय करना; और

(ii) जलयान यातायात सेवाओं तथा राज्य/केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारियों के मध्य प्रभावी सूचना आदान-प्रदान को सुगम बनाना।

(घ) जलयान यातायात सेवा प्रदाओं की लेखा-परीक्षा, पुनर्विलोकन एवं सतत सुधार के संबंध में, —

- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मानक प्रक्रिया के अनुसार विनिर्दिष्ट अंतराल पर लेखा-परीक्षा करना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जलयान यातायात सेवाएं निर्धारित मानकों, परिचालन प्रक्रियाओं एवं सेवा अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही हैं;
- (ii) लेखा-परीक्षा संबंधी निष्कर्षों से जलयान यातायात सेवा प्रदाता को अवगत कराना और, यदि कोई अननुपालन हो, तो उसे निर्दिष्ट अवधि के भीतर दूर करने हेतु निर्देश देना।

(ङ) प्रलेखीकरण एवं अभिलेख संधारण के संबंध में यह सुनिश्चित करना कि—

- (i) प्राधिकार, प्रमाणन, लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों का समुचित संधारण किया जाए;
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिधारणा अवधि के अनुसार परिचालन आंकड़ों और संसूचनाओं का संरक्षण निधारित अवधि तक किया जाए; और
- (iii) गोपनीयता एवं डाटा संरक्षण संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. जलयानों द्वारा जलयान यातायात सेवाओं का उपयोग- सक्षम प्राधिकारी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन तथा अंतरराष्ट्रीय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता संगठन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जलयान यातायात सेवा क्षेत्र में संचालित जलयानों द्वारा जलयान यातायात सेवाओं के उपयोग से संबंधित उपायों पर केन्द्रीय सरकार को परामर्श दे सकेगा।

[फा. सं. एल एच-11012/4/2021-एस एल]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

## MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

**G.S.R. 591(E).**— Whereas the draft Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2026 which the Central Government proposes to make were published, as required by sub-section (1) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021) (hereinafter referred to as the said Act), vide Ministry of Ports, Shipping and Waterways notification number G.S.R. 172 (E), dated the 23<sup>rd</sup> February, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11<sup>th</sup> March, 2026, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 11<sup>th</sup> March, 2026;

And whereas no objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules published by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (d) of sub-section 2 of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), the Central Government, hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2026.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) “Act” means the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021);
  - (b) “competent authority” means the authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 12 of the Act;
  - (c) “vessel traffic service area” means an authorised area declared by the Central Government under and for the purpose of clause (a) of section 11 of the Act;
  - (d) “vessel traffic service provider” means any person, authority or organisation declared and authorised by the Central Government to operate vessel traffic services within a vessel traffic service area.
 (2) Words and expressions used in these rules but not defined herein, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Category of vessel traffic services.-** (1) Vessel traffic services within port or harbor limits, shall be categorised as port or harbor vessel traffic services and such services shall be established and operated by the vessel traffic service provider.  
(2) Vessel traffic services in coastal waters, including waters of common interest of adjoining ports, as may be necessary to facilitate the safe and efficient movement of vessels in such area, shall be categorised as coastal vessel traffic services.  
*Explanation.* - For the purposes of this sub-rule, the expression “waters of common interest of adjoining ports”, means such contiguous or overlapping navigable waters lying between or adjacent to the notified limits of two or more adjoining ports, that are identified and notified by the Government;  
(3) For the purposes of sub-rule (2), the Central Government or any person, authority or organisation authorised by it, may establish such services where volume of traffic or degree of risk justifies such establishment.
4. **Competent Authority for vessel traffic services.-** (1) The Competent Authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 12 of the Act, shall possess a minimum of five years of professional experience in operation and maintenance of vessel traffic services.
5. **Functions of Competent Authority.-** (1) The Competent Authority shall discharge all its functions in accordance with the directions of the Central Government.  
(2) The Competent Authority shall discharge the following functions, namely: -
  - (a) for authorisation of vessel traffic service providers,-
    - (i) circulate standard procedures and criteria for such authorisation;

- (ii) examine and review proposals submitted by vessel traffic service providers for establishment, modification or expansion of vessel traffic services in an authorised area; and
  - (iii) monitor compliance with the conditions of authorisation through inspections, audits and performance reviews.
- (b) with regard to standards for establishment and operation of vessel traffic services,-
- (i) assist the Central Government in formulation of standards, guidelines, and recommendations for establishing and operating vessel traffic services in India, in line with the recommendations and guidelines issued by the International Organisation for Marine Aids to Navigation from time to time;
  - (ii) standardise specification for vessel traffic services' equipment with the prior approval of the Central Government;
  - (iii) standardise scale of manning and their qualification with the prior approval of the Central Government for effective operation of vessel traffic services; and
  - (iv) promote uniformity and interoperability of vessel traffic services' systems and procedures across different vessel traffic services areas, as far as practicable.
- (c) for ensuring efficient coordination and exchange of information,-
- (i) coordinate with vessel traffic service providers, maritime administrations, coastal State authorities, and other relevant State and Central Government agencies to ensure effective operation of vessel traffic services; and
  - (ii) facilitate effective exchange of information between vessel traffic services and State or Central Government authorities.
- (d) for the purpose of audit, review, and continuous improvement of vessel traffic services,-
- (i) conduct audits at intervals specified as per the standard procedure approved by the Central Government for ensuring that the vessel traffic services are complying with the circulated standards, operational procedures, and service requirements; and
  - (ii) convey audit findings to vessel traffic service provider with the direction to rectify the non-compliances, if any, within specified period.
- (e) for documentation and record-keeping ensure that,-
- (i) adequate records relating to authorisations, certifications, audits, and inspections are maintained;
  - (ii) operational data and communications are preserved in accordance with the retention period specified by the Central Government; and
  - (iii) confidentiality and data protection requirements are observed.
- 6. Use of vessel traffic services by vessels.** - The Competent Authority may, in accordance with the guidelines issued by the International Maritime Organisation and International Organisation for Marine Aids to Navigation, from time to time, advise the Central Government on measures relating to the use of vessel traffic services by vessels navigating within a vessel traffic service area.

[F. No. LH-11012/4/2021-SL]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.